



## कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233

E-Mail dfobarkot@gmail.com

वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

पत्रांक- ३३५७/ १२-१ दिनांक, बड़कोट, सितम्बर २०, २०१७।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत स्यालब सुकण पेयजल योजना हेतु 0.4268 हे० वन भूमि का पेयजल संसाधन विकास निगम उत्तरकाशी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक-2095/12-1(1), दिनांक 07.04.2017।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें विषयगत पेयजल योजना निर्माण प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक-2576/423/48 दिनांक 12.09.2017 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है तदनुसार निराकरण आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र० सं०	आपत्ति	आपत्ति निराकरण सूचना
1	Online Part I के बिन्दु संख्या C(iv) में हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Google earth Map अपलोड किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से मान्य नहीं है। GIS generated geo referenced map अपलोड किया जाए व मैप की हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए।	हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का GIS generated geo referenced map प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आनलाईन पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C(iv) में अपलोड कर दिया गया है।
2	Paer I के बिन्दु संख्या D(i) में "Copy of note Containing justification for locating the Project in forest land" के स्थान पर Google earth Map अपलोड किया गया है। निर्धारित स्थान पर वांछित अभिलेख अपलोड किया जाए।	"Copy of note Containing justification for locating the Project in forest land" सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आनलाईन पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D(i) में अपलोड कर दिया गया है।

3	Part II बिन्दु संख्या 15 में प्रस्तावित वन भूमि के स्थलीय निरीक्षण की दिनांक 22.03.2017 दर्शायी गई है। जबकि अपलोड की गई स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि 22.04.2015 अंकित है। तदनुसार त्रुटि का निराकरण करें।	प्रश्नगत पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को किया गया है। स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा के निर्धारित प्रपत्र में आनलाईन Part II बिन्दु संख्या 15 में अपलोड कर दिया गया है।
4	Online Part II के बिन्दु संख्या 16 में प्रपत्र भाग II के स्थान पर वन संरक्षक को सम्बोधित पत्र अपलोड किया गया है। प्रस्ताव की संस्तुति प्रपत्र भाग II में कर यथा स्थान अपलोड की जाए।	प्रस्ताव स्वीकृति के सम्बन्ध में संस्तुति अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.03.2017 के स्थलीय निरीक्षण में किया गया है। जिसे आनलाईन Part II के बिन्दु संख्या 15 में अपलोड किया जा चुका है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(जे०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।





(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत ग्राम स्यालब, सुकड, गौल, बडाथा एवं खुशील में स्यालब सुकड पेयजल योजना निर्माण हेतु 0.4268 हे० वन भूमि 15 वर्षों की लीज पर उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरकाशी को वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हे० में	0.4268 हे०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.4268 हे० आरक्षित वन भूमि मसालगांव 3ए, मसालगांव 4ए, 4बी, तथा 6 एवं किसाला 2बी
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 से अधिक
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कोई वृक्ष बाधित नहीं हो रहे हैं।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि मसालगांव 3ए, मसालगांव 4ए, 4बी, तथा 6 एवं किसाला 2बी सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	1 हे० से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। इस हेतु रिक्त पडे स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।




(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	1 है० से कम वन भूमि होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया जाना है। इस हेतु रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेन्सी स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत- रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 144666 एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 1,00,000=00 रु० का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 144666 एवं 100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु 1,00,000=00 रु० का प्रावकलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावकलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण निपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 97 है। वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 146.2510 है०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेतर भूमि पर-	क- 292.502 है० ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	क- 224.62 है० ख- -
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22-4-2015 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस पेयजल परियोजना हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 25/02  
स्थान 12/0-2015


प्रभागीय जनाधिकारी  
अपर यमुना वन प्रभाग  
बडकोट (उत्तरकाशी)



# जियोरेफेरेंस मैप :- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड नौगांव के अर्न्तगत स्थालब - सुकन पेयजल योजना निर्माण हेतु



Scale - 1:40,000



ID	Longitude	Latitude
1	78°16' 49.563" E	30°52' 51.445" N
2	78°16' 54.660" E	30°52' 47.792" N
3	78°16' 53.059" E	30°52' 43.757" N
4	78°16' 46.726" E	30°52' 43.237" N
5	78°16' 40.681" E	30°52' 41.220" N
6	78°16' 34.994" E	30°52' 38.445" N
7	78°16' 31.683" E	30°52' 33.018" N
8	78°16' 28.591" E	30°52' 27.462" N
9	78°16' 25.766" E	30°52' 21.755" N
10	78°16' 22.963" E	30°52' 16.014" N
11	78°16' 21.075" E	30°52' 10.198" N
12	78°16' 16.224" E	30°52' 6.298" N
13	78°16' 11.847" E	30°52' 1.724" N
14	78°16' 8.005" E	30°51' 56.902" N
15	78°16' 5.195" E	30°51' 51.232" N
16	78°16' 1.138" E	30°51' 46.332" N
17	78°15' 57.427" E	30°51' 41.173" N
18	78°15' 52.771" E	30°51' 36.922" N
19	78°15' 49.586" E	30°51' 31.428" N
20	78°15' 48.424" E	30°51' 25.164" N
21	78°15' 44.722" E	30°51' 20.223" N
22	78°15' 40.849" E	30°51' 15.495" N
23	78°15' 42.616" E	30°51' 9.660" N
24	78°15' 47.436" E	30°51' 5.592" N
25	78°15' 53.460" E	30°51' 3.585" N
26	78°15' 3.877" E	30°54' 54.343" N
27	78°17' 8.577" E	30°52' 33.006" N
28	78°17' 13.999" E	30°52' 36.071" N
29	78°15' 39.347" E	30°52' 12.108" N
30	78°15' 2.320" E	30°54' 59.411" N
31	78°15' 4.320" E	30°54' 51.444" N
32	78°15' 12.458" E	30°54' 47.649" N
33	78°15' 19.632" E	30°54' 42.514" N
34	78°15' 25.595" E	30°54' 35.857" N
35	78°15' 29.985" E	30°54' 28.026" N
36	78°15' 31.337" E	30°54' 19.257" N
37	78°15' 28.446" E	30°54' 10.771" N
38	78°15' 21.877" E	30°54' 4.690" N
39	78°15' 15.698" E	30°53' 58.279" N
40	78°15' 17.721" E	30°53' 51.198" N
41	78°15' 25.712" E	30°53' 47.119" N
42	78°15' 34.063" E	30°53' 43.868" N
43	78°15' 41.817" E	30°53' 39.348" N
44	78°15' 50.682" E	30°53' 39.267" N
45	78°15' 59.603" E	30°53' 38.153" N
46	78°16' 8.552" E	30°53' 38.704" N
47	78°16' 12.730" E	30°53' 31.215" N
48	78°16' 18.842" E	30°53' 25.035" N
49	78°16' 23.827" E	30°53' 18.180" N
50	78°16' 21.895" E	30°53' 9.474" N
51	78°16' 26.897" E	30°53' 4.027" N
52	78°16' 35.588" E	30°53' 1.856" N
53	78°16' 42.241" E	30°52' 56.575" N
54	78°16' 49.569" E	30°52' 51.441" N

प्रभागीय वनाधिकारी  
अपर यमुना वन प्रभाग  
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अपर यमुना वन प्रभाग  
बड़कोट

R.O.

## Legend

- GPS Coordinates
- Proposed Pipeline

अपर यमुना वन प्रभाग

Assistant Engineer  
Uttarakhand Peyjal Sansadhan  
Evam Nirman Nigam Uttarakashi

EXECUTIVE ENGINEER  
Construction Division  
Uttarakhand Peyjal Sansadhan  
Evam Nirman Nigam Uttarakashi

परियोजना का नाम:- स्यालब-सुकण पेयजल योजना

**COPY OF NOTE CONTAINING JUSTIFICATION FOR LOCATING THE  
PROJECT IN FOREST LAND**

परियोजना में वनभूमि अधिग्रहण प्रस्तावित करने का कारण सम्बन्धी प्रमाणपत्र

जनपद- उत्तरकाशी के विकास खण्ड- नौगांव के अन्तर्गत ग्राम स्यालब, सुकन, गौल, बड़ाथा एवं खुर्शील में स्यालब-सुकण पेयजल योजना का निर्माण स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना ग्राम स्यालब, सुकन, गौल, बड़ाथा एवं खुर्शील को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु बनाई जानी प्रस्तावित है। यह पेयजल योजना जनहित में बनाई जानी नितान्त आवश्यक है। उक्त योजना से वर्णित पांच बस्तियों की आबादी पेयजल से लाभान्वित होगी, जो मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। योजनान्तर्गत निकटतम जल श्रोत प्रस्तावित किया गया है एवं अन्य कोई विकल्प न होने के कारण पेयजल योजना वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। जनहित में योजना का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है एवं इस पेयजल योजना से किसी प्रकार के पेड़ों की क्षति नहीं हो रही है। अतः पेयजल योजना के निर्माण कार्य के लिए कुल 0.4268 है० भूमि 15 वर्षों की लीज पर लिये जाने का प्रस्ताव है।



अधिसासी अभियन्ता,  
निर्माण शाखा,  
उत्तरकाशी खण्ड, पेयजल निगम,  
Uttarakhand Jal Sansthan, Uttarkashi  
Uttarakhand Jal Sansthan, Uttarkashi